रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239327
CG-DL-E-04102022-239327

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4463] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4463] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4671(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे सम्बंधित विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और शौकत अहमद शेख @ शौकत मोची, पुत्र गुलाम नबी शेख जिसका जन्म वर्ष 1970 में गनी हमाम, बारामुला, जम्मू-कश्मीर में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में रहता है, आतंकवादी संगठन हिज्बुल-मुजाहिदीन के मुख्य प्रक्षेपण कमांडर के रूप में कार्य कर रहा है ;

और हिज्बुल-मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 8 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और शौकत अहमद शेख की जम्मू-कश्मीर में आतंकी हिंसा फैलाने में मुख्य भूमिका है ;

और उक्त शौकत अहमद शेख उत्तरी कश्मीर में अपने सहयोगियों के गहन नेटवर्क के कारण घुसपैठ का समन्वय करने में और आतंकवादियों की भर्ती करने तथा आतंकवादी हमलों में सम्मलित रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि शौकत अहमद शेख@ शौकत मोची आतंकवाद में अंतर्वलित रहा है और उक्त शौकत अहमद शेख @ शौकत मोची को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"40. शौकत अहमद शेख @ शौकत मोची" ।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4670(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2022 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4671(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Showkat Ahmad Sheikh @ Showkat Mochi,son of Ghulam Nabi Sheikh,born in the year 1970 in Ganie Hamam, Baramulla, Jammu and Kashmir, presently based in Pakistan, is operating as Chief Launching Commander of the terror outfit Hizb-Ul- Mujahideen;

And whereas, Hizb-Ul- Mujahideen is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 8;

And whereas, the said Showkat Ahmad Sheikh is instrumental in spreading terror violence in Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Showkat Ahmad Sheikh is involved in coordinating infiltration and recuirment of terrorists and execution of terror attacks owing to his deep network of associates in North Kashmir;

And whereas, the Central Government believes that Showkat Ahmad Sheikh @ Showkat Mochi is involved in terrorism and the said Showkat Ahmad Sheikh @ Showkat Mochi is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 39 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"40. Showkat Ahmad Sheikh @ Showkat Mochi ".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4670(E), dated the 4th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.10.04 15:11:21 +05'30'